US-86
04-01-2022

अत्यंत महत्वपूर्ण / विधानसभा
विशेष पत्र वाहक / ई–मेल द्वारा

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉं तल, सी – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(4) / अता. / ता प्र.सं. 86 / द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग–2022 / दिविस / श.वि. / 1294-96 दिनांकः 01-01-22

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः–दिल्ली सातवीं विधानसभा के द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग तारांकित / अतारांकित प्र. स. 86 माननीय विधायक श्री प्रकाश जारवाल दिनांक 04.01.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया / महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉं, माननीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

Scanned by TapScanner

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री प्रकाश जारवाल

दिनांक : 04.01.2022

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 86

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि ग्रेटर कैलाश–1 में अतिक्रमण का समाचार दिनांक 4 जुलाई 2020 को समाचारपत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ था और उपायुक्त दक्षिणी ज़ोन ने उक्त स्थल का निरीक्षण भी किया था;	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के पहले ही दिनांक 03.07.2020 को संयुक्त कार्यवाही JE works और सामान्य शाखा द्वारा की गयी थी। जिसके दौरान M Block Market से स्थाई तथा अस्थाई अतिकमण हटाया गया। तत्पश्चात 04.07.2020 तथा 06.07.2020 को लगातार अस्थाई अतिकमण हटाने की कार्यवाही की गयी तथा संबंधित पुलिस उपायुक्त तथा थाना अध्यक्ष को दोबारा अतिकमण होने से रोकने के लिए दिनांक 06.07.2020 को पत्र लिखा गया। **(कॉपी अनुलंग्नक 'क'** पर संलग्न है।)
ख	क्या यह भी सत्य है कि स्थानीय विधायक ने इस अतिक्रमण के बारे में समाचार में प्रकाशित होने से बहुत पहले सूचित किया था, परंतु लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी, यदि हाँ तो उसके कारण बताएँ व एतद्‌संबंधी संपूर्ण जानकारी प्रदान करें;	माननीय विधायक द्वारा सूचित करने के बाद दिनांक 03.07.2020, 04.07.2020 तथा 06.07.2020 को अतिकमण हटाने की कार्यवाही की गयी।
ग	क्या यह सत्य है कि एसडीएमसी के आयुक्त को स्थानीय विधायक द्वारा पत्रों और ईमेल के द्वारा सचेतकों को एसडीएमसी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की थी, जो कि शॉप संख्या एम/29, जीके–1 को और जी–197 स्थित उसकी रसोई को विशेषरूप से निशाना बना रहे थे;	एम–29 ग्रेटर कैलाश 1 में किसी का चालान नही किया गया था व सी–197 सेकेंड फलोर ग्रेटर कैलाश 1 रिहायशी इलाके में एक अवैध किचन चल रहा था जिसका चालान, संख्या 110742, दिनाक 28.10.2020 को किया गया था।
घ	अतिक्रमण के संबंध में सचेतकों के विरुद्ध मनमाने ढंग से कार्रवाई करने के लिए क्या किसी के विरुद्ध कोई जाँच की गई, यदि नहीं तो क्यों नहीं और यदि हाँ, तो दस्तावेज उपलब्ध कराएँ;	विभाग द्वारा समय समय पर सभी अस्थाई अतिकमण के खिलाफ निष्पक्ष रूप से कार्यवाही की जाती है।
ङ	संबंधित लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर की तैनाती, उनके विरुद्ध की गई शिकायतों व जाँच के संबंध में संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएँ;	संबंधित लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को प्रशासनिक कारणों से 13 सितम्बर 2021 को GK-1 से स्थानांतरित कर दिया गया है।
च	जीके–1 वार्ड के काउंसलर के विरुद्ध हाने वाली जाँच का विवरण उपब्ध कराएँ जिसके विरुद्ध स्थानीय विधायक द्वारा वीडियो प्रमाण उपलब्ध कराए गए थे; और	**(च) एवं (छ):–** निगम पार्षद के विरूद्ध जांच करने का कार्य दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कार्य क्षेत्र में नही आता।
छ)	यदि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्यों?	

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

अनुलग्नक 'क'

South Delhi Municipal Corporation
Office of the Assistant Commissioner
(South Zone, Green Park)

No. 1927/AC/SZ/2020 Dated: 06.07.2020

To,

The Deputy Commissioner of Police,
South District – Hauz Khas,
New Delhi.

Sub.: Prevention of re-encroachments.

Sir,

The enforcement staff of General Branch/South Zone carried out a temporary encroachment removal action at Near Hansraj Gupta Marg, Kailash Colony Market Road, M-Block Market and surrounding area, Ward No. 086-S (GK-I) on 04.07.2020. The photographs captured during the action are placed opposite for kind perusal.

Therefore, you are requested to direct Police personnel concerned to keep strict vigil in the area, where temporary encroachments have been removed, are not re-occupied by the encroachers as per orders of Hon'ble Supreme Court of India in IA No. 394 in WP(C) No. 1699/1987.

Yours faithfully,

Encl. As above.

-sd-
Administrative Officer
South Zone

Copy for information:-

1. Station House Officer /Police Station – Greater Kailash, New Delhi.

Administrative Officer
South Zone
6/7